



कार्यालय कलेक्टर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

निविदा-सूचना

क्रमांक २५४४ /क/वित्त-1/वाहन/2020

दंतेवाड़ा दिनांक 03/06/2020

दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के राजस्व विभाग में अपलेखन योग्य निष्प्रयोजित वाहन क्रमांक **CG-02/3674** (टाटा सूमो स्पेसियो) मॉडल वर्ष 2008 का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से दिनांक 30/6/2020 को समय अपराह्न 3:00 बजे किया जाना है। वाहन के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है।

1. निष्प्रयोजित वाहन राजस्व विभाग के अधीन जिला प्रशासन की है।
2. वाहन डीजल चलित है।
3. वाहन का अपसेट प्राईज रु. 50000.00 (पचास हजार मात्र) नियत किया गया है तथा नीलामी पूर्व बोलीदारों से 5000.00 (पांच हजार मात्र) रुपये की अमानत राशि नगद जमा कराई जावेगी।
4. नीलामी संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में किया जावेगा।

उपरोक्त नीलामी में निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. वाहन संयुक्त कार्यालय परिसर में रखा हुआ है जिसका निरीक्षण कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
2. वाहन जहां है, जिस हालत में है, विक्रय किया जावेगा।
3. वाहन की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति वाहन के लिए निर्धारित अमानत राशि जमा करने पर ही नीलामी बोली के हकदार होंगे। वाहन के लिए निर्धारित अमानत राशि जिला नाजिर, जिला कार्यालय दंतेवाड़ा के पास जमा कर रसीद प्राप्त कर बोली में भाग ले सकते हैं।
4. वाहन की आपसेट प्राईज नीलाम किए जा रहे वाहन की सरकारी बोली होगी। उससे कम की कोई भी बोली स्वीकार नहीं किया जावेगी।
5. न्यूनतम तीन बोलीदार होने पर ही वाहन की नीलामी प्रारंभ की जावेगी।
6. उच्चतम बोली स्वीकार करने अथवा नहीं करने का अधिकार कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा को होगा।
7. उच्चतम बोली स्वीकार होने के तत्काल बाद संबंधित बोलीदार द्वारा राशि तत्काल जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही वाहन उठाने की अनुमति दी जावेगी।
8. स्वीकृत नीलामी अनुसार बिक्री की गई वाहन का क्रेता द्वारा परिवहन विभाग से नया पंजीयन क्रमांक प्राप्त करने की कार्यवाही करेगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन का क्रमांक का उपयोग नहीं करेगा।
9. अधिकतम बोली स्वीकृत होने के पश्चात् यदि संबंधित द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते, कलेक्टर

दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा



कार्यालय कलेक्टर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

निविदा-सूचना

क्रमांक २५४६/क/वित्त-1/वाहन/2020

दंतेवाड़ा दिनांक 03/06/2020

दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के राजस्व विभाग में अपलेखन योग्य निष्प्रयोजित वाहन क्रमांक **CG-02/0621** (मारुति जिप्सी) माडल वर्ष 1999 का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से दिनांक 30.6.2020 को समय अपराह्न 3:00 बजे किया जाना है। वाहन के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है।

1. निष्प्रयोजित वाहन राजस्व विभाग के अधीन जिला प्रशासन की है।
2. वाहन ~~पेन्ट~~ चालित है।
3. वाहन का अपसेट प्राईज रु. 40000.00 (पचास हजार मात्र) नियत किया गया है तथा नीलामी पूर्व बोलीदारों से 5000.00 (पांच हजार मात्र) रुपये की अमानत राशि नगद जमा कराई जावेगी।
4. नीलामी संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में किया जावेगा।

उपरोक्त नीलामी में निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. वाहन कलेक्टर कार्यालय परिसर में रखा हुआ है जिसका निरीक्षण कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
2. वाहन जहां है, जिस हालत में है, विक्रय किया जावेगा।
3. वाहन की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति वाहन के लिए निर्धारित अमानत राशि जमा करने पर ही नीलामी बोली के हकदार होंगे। वाहन के लिए निर्धारित अमानत राशि जिला नाजिर, जिला कार्यालय दंतेवाड़ा के पास जमा कर रसीद प्राप्त कर बोली में भाग ले सकते हैं।
4. वाहन की आफ्सेट प्राईज नीलाम किए जा रहे वाहन की सरकारी बोली होगी। उससे कम की कोई भी बोली स्वीकार नहीं किया जावेगी।
5. न्यूनतम तीन बोलीदार होने पर ही वाहन की नीलामी प्रारंभ की जावेगी।
6. उच्चतम बोली स्वीकार करने अथवा नहीं करने का अधिकार कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा को होगा।
7. उच्चतम बोली स्वीकार होने के तत्काल बाद संबंधित बोलीदार द्वारा राशि तत्काल जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही वाहन उठाने की अनुमति दी जावेगी।
8. स्वीकृत नीलामी अनुसार बिक्री की गई वाहन का क्रेता द्वारा परिवहन विभाग से नया पंजीयन क्रमांक प्राप्त करने की कार्यवाही करेगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन का क्रमांक का उपयोग नहीं करेगा।
9. अधिकतम बोली स्वीकृत होने के पश्चात् यदि संबंधित द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते, कलेक्टर

दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा